

बिहार सरकार  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना  
अधिसूचना

संख्या-...../डी0 एल0 ए0 (एस0एच0-87)सीतामढ़ी...../रा0,पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- झंझट, थाना नं0-184, थाना-पुपरी, अंचल-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से भिसवा राज्य उच्च पथ सं0-87 के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली गयी है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त - ग्राम- झंझट, थाना नं0-184, थाना-पुपरी, अंचल-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश 0.328 हेक्टेयर के आकार का है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनार्थ खेसरा संख्या-	324अंश	325अंश	326अंश	327अंश	328अंश	329अंश	330/2874अंश	330अंश
	332अंश	333अंश	349अंश	350अंश	351अंश	352अंश	353अंश	354अंश
	378अंश	471अंश	469अंश	468अंश	एवं 467 का अंश रकबा		387पूर्ण	355अंश
								480अंश

चौहद्दी

उत्तर - खेतपुर

दक्षिण - राजबाग


पूरुब - खेसरा नं0 324, 325, 326, 327, 328, 329, 2874, 330, 332, 333, 334, 349, 350, 351, 353, 354, 386, 480, 478 एवं 471

पश्चिम - खेसरा नं0 469, 458, 467 एवं 404


यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 संशोधित अधिनियम 1, 1984) बनाने के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक0), बिहार स्टेट रोड कॉर्पोरेशन लि0, पी0आई0यू0-3, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा जगत अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं।

अतः अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीटों को बनाने के लिये अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

  
समाहर्ता  
सीतामढ़ी

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव


संख्या-...../डी0 एल0 ए0 (एस0एच0-87)सीतामढ़ी..... - 2275 / रा0,पटना, दिनांक - 16-09-13

प्रति लेपि- निदेशक सूचना एवं जन्म सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रति लेपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन एवं काशि गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रति लेपि- समाहर्ता, सीतामढ़ी/अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति लेपि- आयुक्त, तिरहुत प्रबन्धन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता  
सीतामढ़ी

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव